



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252116
CG-DL-E-15022024-252116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945

No. 97]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 106(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में, अनुसूची क में, तालिका में, मद संख्या 1, मद संख्या 2, मद संख्या 4, मद संख्या 7, मद संख्या 8 एवं मद संख्या 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं.एम. VI-1/3/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा. का. नि. 677 (अ), में तारीख 11 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और उनका अंतिम संशोधन सा. का. नि. 682(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2024

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, in Schedule A, in the Table, items 1, 2, 4, 7, 8 and 11 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 677(E), dated the 11th July, 2016 and lastly amended vide number G.S.R. 682(E), dated the 22nd September, 2023.